न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 02/2024 (निगरानी)
जीसीएमएस नं0 2024/194

घनश्याम राठौर पुत्र श्री बद्रीलाल जाति तेली निवासी ग्राम अरण्डखेडा की झोंपडिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–निगराकार

बनाम

1. जमनालाल मीणा पुत्र रतनलाल मीणा
2. शम्भूदयाल मीणा पुत्र रतनलाल मीणा
3. अर्जुन मीणा पुत्र रतनलाल मीणा
   निवासीगण ग्राम अरण्डखेडा की झोंपडिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
4. ग्राम पंचायत अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान जर्ये सरपंच
5. पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा जर्ये विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा कोटा

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.07.2024 अपील संख्या 3/2020 उनपवान मुकदमा घनश्याम राठौर बनाम जमनालाल मीणा वगै0 न्यायालय कार्यालय पंचायत समिति लाडपुरा कोटा

उपस्थित :–

1. श्री बनवारीलाल नागर अभिभाषक निगराकार
2. श्री गोपाल दत्त शर्मा, गैर निगराकार नं0 2 व 3
3. गैर निगराकार नं0 4 व 5 के विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांकः– 10.02.2025

1. निगरानी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट निगराकार द्वारा विकास अधिकारी लाडपुरा में प्रस्तुत अपील में विकास अधिकारी लाडपुरा द्वारा दिनांक 04.07.2024 को निर्णय पारित किया है कि–"दिनांक 3.7.2024 को प्रशासन स्थापना स्थायी समिति की बैठक रखी गयी । दोनों पक्षों को लिखित में पत्र भिजवाकर अपना अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये । दोनों पक्ष प्रशासन स्थापना समिति के समक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्षों को सुना गया । सुनकर प्रशासन स्थापना समिति ने ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.10.2020 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित युक्तियुक्त आधार नहीं मानते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य मानते हुए अपील खारिज की गई तथा ग्राम पंचायत के आदेश को बहाल रखते हुए अपील अपीलान्ट की खारिज किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया । उक्त निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया ।"
2. उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2024 की अप्रसन्नता में यह निगरानी निगराकार द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत एवं बिना किसी आधार के बिना विवेचन किये वास्तविक स्थिति से परे जाकर उक्त निर्णय दिया जो कानूनन निरस्त होने योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार नं0 2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री गोपालदत्त शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । 4 व 5 के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित । गैर निगराकार नं0 4 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली है । विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4. विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगराकार की पुश्तैनी मकान के सामने की जगह जमीन 23 गुना 10 फीट को सरकारी जमीन मानकर उसमें से 23 गुना 5 फीट जमीन गैर निगराकार क्रम 1 को देने में भारी गलती की है जबकि उक्त सम्पूर्ण जमीन निगराकार के मकान के सामने की है जिस पर निगराकार के बडे बूढो के समय से कानूनन कब्जा व अधिकार चला आ रहा है जबकि उक्त जमीन पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी गौर नहीं किया कि उक्त विवादित जमीन निगराकार के स्वामित्व की पुश्तैनी मकान के पास की है जिस पर केवल मात्र निगराकार का प्रथम अधिकार कानूनन बनता है तथा जमीन में से गैर निगराकार क्रम 1 को देकर भारी त्रुटि की है । निगराकार के पुश्तैनी मकान के पूर्व के मकान में अपने भाई परमानन्द का मकान है तथा परमानन्द के मकान की दीवार से अडवा उत्तर की तरफ जमनालाल गैर निगराकार क्रम 1 का मकान बना हुआ है तथा गैर निगराकार क्रम 1 का केवल मात्र अपने मकान के पूर्व से पश्चिम की तरफ सीध में ही अधिकार बनता है इसलिये निगराकार की उक्त जमीन में कोई कानूनन हक नहीं बनता है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार के पुश्तैनी मकान के सांमने अतिक्रमण कर कब्जा गैर निगराकार को दिया है, जो अनुचित है । अधीनस्थ न्यायालंय ने विवादित जमीन के आस पास के व्यक्तियों के मौके पर बयान आदि लिये बिना ही उक्त वास्तविकता से परे जाकर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल दिनांक 4.7.2024 को प्राप्त कर ली थी उसके बाद निगराकार बीमार हो जाने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गया तथा तबीयत में सुधार होने पर यह निगरानी प्रस्तुत की है । निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन फरमाया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 3.7.2024 निरस्त फरमाया जावें ।

5. विद्वान अभिभाषक गैर निगराकार नं0 1 व 3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 2/20.10.2020 में निर्णय लिया जो उचित है क्योंकि निगराकार व गैर निगराकार के मकान के बीच में 23 गुना 10 फीट की खाली जगह है इसमें से आधी जगह 23गुना 5 फीट पर घनश्याम राठौर का एवं 23 गुना 5 फीट जगह पर जमनालाल मीणा का हक माना है तथा मुझ गैर निगराकार द्वारा शोचालय निमार्ण को मेरे हक की जगह में ही बताया है । इस प्रकार निगराकार द्वारा मेरे द्वारा बनाये गये शौचालय की जमीन को अपने हक की बता रहा है जो उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी महो0 द्वारा भी ग्राम पंचायत का निर्णय उचित माना है । प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें ।

6. गैर निगराकार नं0 4 व 5 का जवाब एवं बहस है कि उक्त जमीन सरकारी है उस पर निगराकार का कोई पुराना कब्जा नहीं है । उसके पास उक्त जमीन संबंधित स्वामित्व के कोई दस्तावेज व साक्ष्य नहीं है । निगराकार व गैर निगराकार में विवाद होने पर निगराकार ने ग्राम पंचायत अरण्डखेडा में शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस पर ग्राम पंचायत ने वार्ड पंचों की एक कमेटी गठित की गई, कमेटी द्वारा जांच कर ग्राम सभा में जांच प्रस्तुत की । ग्राम सभा ने उक्त खाली जगह पर प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2020 में निर्णय पारित किया कि उक्त जगह पर दोनों पक्षों का बराबर कब्जा है । उक्त जगह 23 गुना 10 को दो हिस्सों में बांटकर दोनों पक्षों को उक्त जगह 23 गुना 5 बराबर दी गई । उक्त खाली जगह पर गैर निगराकार जमनालाल ने शैचालय का निमार्ण कर रखा है । ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि पर दोनों पक्षों का कब्जा मानते हुए निर्णय पारित किया है जो सही है । ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्व पंचायत समिति लाडपुरा में अपील

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रस्तुत की थी, जिसमें ग्राम पंचायत व रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत किया था और उक्त अपील को दिनांक 3.7.2024 को प्रशासन स्थापना स्थाई समिति के समक्ष रखी गई । जहां दोनों पक्षों को बुलाकर सुना गया और ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 20.10.2020 को सही मानते हुए व कोई न्यायोचित आधार नहीं मानते हुए ग्राम पंचायत के निर्णय को बहाल रखते हुए निगराकार की अपील खारिज की गई है । प्रस्तुत निगरानी सारहीन बिना तथ्यों एवं आधारों के प्रस्तुत होने से खारिज योग्य है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । निगराकार द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा के अपील प्रकरण संख्या 3/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.7.2024 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 4.11.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर है किन्तु गैर निगराकार द्वारा लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया है ओर ना ही विलम्ब के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत निगरानी का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण का बिन्दु निहित होने से लिमिटेशन की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

8. निगराकार का प्रस्तुत निगरानी में चाहा गया अनुतोष यह है कि उनके पुश्तैनी मकान के सामने 23 गुना 10 फीट की सरकारी जमीन स्थित थी,जिस पर पुर्वजों के समय से उनका कब्जा चला आ रहा है, उक्त भूमि में से 23 गुना 5 फीट जमीन गैर निगराकार कम 1 को देकर उसके शौचालय की अनुमति दे दी गई है, जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय में करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 (निर्णय) दिनांक 20.10.2020 को उचित मानते हुए निगराकार अपीलांट की अपील संख्या 3/2020 निर्णय दिनांक 04.07.2024 खारिज कर दी गई है । गैर निगराकार नं0 4 व 5 का कथन है कि वर्णित जमीन सरकारी है उस पर निगराकार का कोई पुराना कब्जा नहीं है । उसके पास उक्त जमीन संबंधित स्वामित्व के कोई दस्तावेज व साक्ष्य नहीं है । निगराकार व गैर निगराकार 1 लगायत 3 में विवाद होने पर निगराकार ने ग्राम पंचायत अरण्डखेडा में शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, इस पर ग्राम पंचायत ने वार्ड पंचों की एक कमेटी गठित की गई, कमेटी द्वारा जांच कर ग्राम सभा में जांच प्रस्तुत की, जिस पर ग्राम सभी ने उक्त खाली जगह पर प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2020 में निर्णय पारित किया कि उक्त जगह पर दोनों पक्षों का बराबर कब्जा है, उक्त जगह 23 गुना 10 को दो हिस्सों में बांटकर दौनों पक्षों निगराकार एवं गेर निगराकार नं0 1 लगायत 3 को बराबर दी गई है तथा उक्त खाली जगह पर गैर निगराकार जमनालाल ने शौचालय का निमार्ण कर रखा है । ग्राम पंचायत ने दोनों पक्षों का कब्जा मानते हुए निर्णय पारित किया है जो सही है ।

9. उभयपक्षों के प्रस्तुत तर्को से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि 23 गुना 10 फीट सरकारी भूमि होकर किसी भी पक्षकार के स्वामित्व की भूमि नहीं है । उक्त भूमि में गैर निगराकार द्वारा शौचालय का निर्माण किया जाने से पक्षकारान के मध्य विवाद हुआ, जिस पर ग्राम पंचायत की कमेटी की जांच रिपोर्ट एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2020 से उक्त विवादित भूमि जो पक्षकारान के सामने खाली भूमि होने से निगराकार एवं गैर निगराकार को बराबर हिस्से में 23 गुना 5 फीट दे दी गई, किन्तु ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव एवं आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया है कि उक्त सरकारी भूमि पक्षकारान को किस नियम के तहत दी गई तथा क्या शुल्क लिया गया यह गैर निगराकार3 स 4 स्पष्ट नहीं करा पा रहे है, अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पं0 समिति लाडपुरा भी इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना एवं नियमों का उल्लेख किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है जो अनुचित एवं गैर कानूनी है ।

10. परिणामस्वरूप निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2024 एवं ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 20.10.2020 अपास्त किया जाता है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई नियम का हवाला दिये एवं पक्षकारान से आबादी भूमि होने की स्थिति में कोई शुल्क लिए बिना ही राजकीय भूमि पर दौनों पक्षों का कब्जा मानते हुए आधी–आधी सरकारी भूमि निगराकार एवं गैर निगराकार को उनका अधिकार मानते हुए दे दी गई है, जो एक अनुचित एवं विधि विरूद्व कार्यवाही है, जिसके लिए सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी /कर्मचारी के विरूद्व उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

11. निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा